न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 67सी /2026
रिंकु देवी बनाम आदित्य कुमार तथा अन्य
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–रंजीत कुमार
प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता–मनोज कुमार सिंह, उमा शंकर कुमार

09.06.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतू निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान, जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार घटना 24.01.2026 की है। मेरी लड़की सरस्वती पूजा विर्सजन हेतु स्कूल गयी थी। पर शाम तक नही आयी। पता पर नही मिली। दूसरे दिन से पता चला की आदित्य कुमार मेरी लड़की लेकर चला गया कहा की डेरा में रखे है। वह लोग बोले की हम आपकी लड़की को ला देंगे। फोन पर बात किये परंतु नही आये। बोलने पर मार–पीट किया।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने कहा की मेरी लड़की 16 साल की थी। इससे पहले अभियुक्त 05,06 से पहले लड़की को ले गया। अभियुक्त लड़की बेचते है।

प्रस्तुत मामला भा0 न्याय0 संहि0 के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्तगण उपस्थित हुए। दो अभियुक्त बब्लू दास तथा नागेन्द्र दास उपस्थित हुये। मामलें में अभियुक्तो ने कहा की मामलें की अभियोगिनी ने स्थानीय थाना में एक केस दर्ज किया जो भी 20.03.2026 को दर्ज था। यह की पुनः उसने घ ाटना की तिथी को बदलकर 24.01.2026 किया और एक परिवाद पत्र भी दाखिल किया गया। यह की करपी थाना काण्ड सं0– 54/2026 अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और जान–बूझ कर दो केस किया है। अतः मामलें की सुनवाई स्थगित करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान , जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में अभियुक्तो ने करपी थाना काण्ड सं0– 54/2026 की छायाप्रति न्यायालय में जमा की है जिसके अनुसार परिवादी के द्वारा पहले से ही पुलिस केस किया गया है। यह की जब एक बार पुलिस केस हो चुका है तो ऐसी स्थिति में दुबारा समनांतर रूप से परिवाद पत्र चलाना उचित नही है। अतः मामलें में **कार्यालय को निर्देश दिया जाता है की वह भा0 नाग0 सु0 संहि0 की घारा–233(1) के अंतर्गत संबंधित अनुसंधानकर्ता से मामलें के अन्वेषण के संबंध में समूचा प्रतिवेदन काण्ड दैनिकी के साथ अद्यतन रूप से मांग करे तथा अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया जाता है की वह अग्रिम तिथी न्यायालय में समूचा प्रतिवेदन करपी थाना काण्ड सं0–54/2026 के संबंध में लेकर न्यायालय में दिनांक 09.07.2026 को उपस्थित हो।**

लेखापित,

(मनीष कुमार पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

CIVIL COURT ARWAL